प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 09मई, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-10-नाबार्ड सहायतित इंट्रीग्रटेड रेन वाटर मैनेजमेन्ट (वाटरशेड डेवलपमेन्ट) प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0लेखा/आर0आई0डी0एफ0/वित्तीय स्वीकृति/17-18/22डी, दिनांक 15 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार रू0 4166.00 लाख (रू0 इकतालिस करोड़ छाछठ लाख) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

मानक मद	**प्राविधान 2017-18**	**प्रस्तावित धनराशि (लेखानुदान अवधि 05 माह हेतु प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति की धनराशि)**
08-कार्यालय व्यय	50.00	20.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	100.00	41.00
42-अन्य व्यय	9800.00	4084.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	50.00	20.50
योग	**10000.00**	**4166.00**

2- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 02 समान किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि योजना की त्रैमासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा नाबार्ड के अंश की धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

4- उक्त धनराशि का व्यय नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.-16,18 एवं 19 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/ट्रेन्चों के लिए किया जायेगा। योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण के कार्यो का सम्पादन व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना तथा आर.आई.डी.एफ के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड/शासन द्वारा निर्धारित नियमों /शर्तो /निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योकिं धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्टर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.01.2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों केा छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जानेएवंशासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टीसी-।।, दिनॉक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान नेफट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यो से संबंधित स्वीकृति धनराशि जनपदवार निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अन्तर्गत संबंधित भूमि संरक्षण इकाइयों को उनकी निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही आवंटित की जाय।

9- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदातथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-10-नाबार्ड सहायतित इंट्रीग्रटेड रेन वाटर मैनेजमेन्ट (वाटरशेड डेवलपमेन्ट) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-333(1)/12-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।